होम्योपैथिक विभाग

जनपद– सिद्धार्थनगर

सूचनाअधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 के उप नियम (4ख) के अनुपालन में प्रत्येक पटल सहायक कों विन्दु (1) से विन्दु (17) तक दिये गये निर्देशो के अनुपालन में मैनुअल्स की सूचनाओं का विवरण–होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से रोगियों का उपचार।राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों मे नियुक्त चिकित्साधिकारियों द्वारा रोगियों का उपचार एवं राश्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका।राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण।प्रातः 8 बजे से अपराहन 2 बजे तक (ाासन के निर्देशानुसार) चिकित्सालय का खुलना एवं रोगियों को समुचित चिकित्सा सेवा प्रदान करना।(ए) चिकित्साधिकारियों द्वारा चिकित्सकीय कार्य सम्पादित करना।(बी) भेशजिक (फार्मासिस्ट) द्वारा औशधियो ंके वितरण, अभिलेखों तथा चिकित्सालय के सामान आदि का रखरखाव करना।(सी) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा सफाई आदि की ब्यवस्था सुनिि चत करना।जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्ययलय में जी0पी0एफ0, संवा पुस्तिका, ब्यक्तिगत पत्रावलियों तथा आय / ब्यय (बजट) सम्बंधी दस्तावेज आदि उपलब्ध रहता है।लागू नहीं है।लागू नहीं है।अधिकारी / कर्मचारियों की निर्देशिका की छाया प्रति संलग्न। अधिकारी / कर्मचारियों मासिक परिश्रमिक के विवरण की छाया प्रति संलग्न। सभी योजनाओं, प्रस्तावित ब्ययों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने हेतु निदे ाालय स्तर से प्राप्त बजट एवं उसके सापेक्ष ब्यय विवरण की छाया प्रति संलग्न। सहायकी कार्यक्रमों में को धनराि ा आवंटित नहीं। लागू नहीं है। जी0पी0एफ0 एकाउन्ट से सम्बन्धित ब्यौरा बेब साईट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। सूचना अभिप्राप्त करने हेतु जनपद स्तर पर जन सूचना अधिकारी तथा सहायक जन सूचना अधिकारी को नामित कर दिया गया है। जिनके माध्यम से नागरिकों द्वारा विभागीय सूचनायें प्राप्त की जा सकती है।

जन सूचना अधिकारी के नाम एवं अन्य विवरणः—

(ए) डा0 प्रणीत कुमार श्रीवास्तव	कार्यवाहक जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी सिद्धार्थनगर। जन सूचना अधिकारी द्वारा श्रीमती दुर्गा पाण्डे निकट—पी0डब्लू0डी0 आफिस उस्का रोड, तेतरी बाजार सिद्धार्थनगर। मोबाइल न0— 9451472162
(बी) डा0 प्रेम कुमार श्रीवास्तव	प्रभारी चिकित्साधिकारी, (सहायक जन सूचना अधिकारी) राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, केवटलिया सिद्धार्थनगर। आवास ग्राम—मसिना पो0—देउराबाजार सिद्धार्थनगर। फोन नं0— 9415163635

जनपद में संचालित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की सूची संलग्न है।

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी
सिद्धार्थनगर।

प्रदे ा के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयो के होम्योपैथिक कम्पाउन्डरों के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

प्रदे ा के राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयो के होम्योपैथिक कम्पाउन्डरगण चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारी के अधीक्षण एवं नियंत्रण के द्वारा समय समय पर दिये गये आदे ाो / निर्दे ाों के अधीन मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यो एवं दायित्यो का निर्वाहन करेगें।

1–होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा लिखें गये प्रिस्क्रिप्सनों कें अनुसार/ अनुरूप चिकित्सालय में सेवित किये जाने वाले रोगियो की औशधिओ का वितरण विधिवत सुनि चत करेगे एवं औशधिओ की सेवन विधि तथा अन्य कोई परहेज/सलाह जो हौम्योपैथिक चिकित्साधिकारी द्वारा निर्दे ात किये गये हो/किये जाय के सम्बन्ध मे रोगियो को सम्पूर्ण जानकारी स्पश्ट रूप से देगें।

2–जहॉ कहीं रोगियो के घावों आदि को मरहम पट्टी/ड्रेसिग आव यक हो उसे विधिवत करेगें।

3–चिकित्सालय के विभिन्न उपकरणों/औजारों आदि को आव यकता अनुसार स्टरलाइज करेगें तथा उन्हे साफ–सुथरा एवं सुरक्षित रखेगें।

4–विभिन्न भाक्तियों (पोटेन्सी)की होम्यौपैथिक औशधिओ एवं बायोंकिनक औशधिओ की वर्णमाला के क्रमानुसार रखेगें तथा मदरटिन्चर तथा विभिन्न होम्योपैथिक टींचरो की वर्णमाला के क्रमानुसार रखेगे तथा चिकित्सालय की समस्त औशधिओ का विधिवत रख–रखाव सुनि चत करेगे।

5– वे विभिन्न औशधिओ की विभिन्न बोतले/भीाि ाओं के कार्क ढक्कन आदि ठीक से बन्द रखेगे। ताकि अल्कोहल युक्त हौम्योपैथिक औशधिआ उड़ने तथा नश्ट न होंने पायें ।

6– हौम्योपैथिक औशधिओ के वितरण हेतु समस्त बेहिकल्स जैसे सुगर आफ मिल्क, ग्लोब्यूल्स डिसटिलवाटर, डिस्केट्स आदि का रख–रखाव विधिवत सुनि चत करेगें।

7– तेज गन्ध वाली औशधिओ को अन्य होम्योपैथिक औशधिओ से अलग रखेंगें।

8–प्रभारी चिकित्साधिकारी के आदे ाानुसार चिकित्सालय की विभिन्न औशधिओ, उपकरणों, साज–सज्जा एवं फनीचर आदि का भी भण्डार पंजिकाओं में उनकी प्रविश्टयॉ

अद्येयतन रखेगे तथा तत् सम्बन्धी पत्रावलियों/अभिलेखो का सुरक्षित रख–रखाव सुनि चत करेगें। यदि चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी तैनात नही है तो उस द ा में आव वकता अनुसार जनपद से समीपस्थ किसी हौम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के निर्दे ान में उपर्युक्त कार्यवाही सुनि चत करेगें।

9– चिकित्सालय के उपयोगार्थ विभिन्न सामग्री जिनके अन्तर्गत औशधियॉ भी सम्मिलित है के मॅागपत्र (इन्डेन्ट)/क्रय आदे ा (परचेज आर्डर)आदि तैयार करने में चिकित्साधिकारी का सहयोग करेगें, तथा प्राप्त औशधियॉ/सामग्री विधिवत, सम्बन्धित भण्डार पंजिकाओ में प्रविश्ट करने के उपरान्त तत्सम्बन्धी अंकन बिलों पर करते हुए उन्हें सत्यापित किये जाने हेतु चिकित्साधिकारी का सहयोग करेगें। प्राप्त औशधिओ/सामग्री में कमी अथवा अधिकता आदि की जानकारी/रिपोर्ट चिकित्साधिकारी को औशधिओ/सामग्री की प्राप्ति के उपरान्त आव यक कार्यवाही हेतु तत्काल देगें।

10– चिकित्सालय की औशधि युक्त समस्त बोतलो/भाीि ाओ/डिब्बो आदि पर सरकारी आपूर्ति तथा विक्रय हेतु नही कि मोहर अंकित करेगे।

11– चिकित्सालय मे औशधिओ/विभिन्न सामग्री आदि की कमी या अधिकता के बारे मे समय रहतें चिकित्साधिकारी को अपनी रिर्पोट देगे, तथा इस बात का पूरा ध्यान रखेगें कि ऐसी औशधिओ/सामग्री आदि को चिकित्सालय के प्रयोजन हेतु ही प्रयोग मे लाया गया हैं/लाया जायेगा ।

12– चिकित्सालय के भण्डार के वार्शिक सत्यापन में तथा समय समय पर भण्डार के वि ोश सत्यापन हेतु चिकित्साधिकारी की सहायता करेगे।

13– चिकित्सालय मे सेवित रोगियो की सं0 का सम्पूर्ण अभिलेख/रिकार्ड रखेगे। जिससे वे चिकित्साधिकारी को प्रत्येक माह की 3 तारिख को व्यक्तिगत रूप से अग्रेतर कार्यवाही हेतु अवगत करायेगें।

14– रोगी पंजीकरण रजिस्टर का रख–रखाव सुनि चत करेगे तथा चिकित्सालय मे आने वाले रोगियो को प्रिस्क्रिप्सन पंजीकरण पत्र जारी करेगे। जहां कही लागू हो चिकित्सालय मे आने वाले रोगियो से निर्धरित पंजीकरण भाुल्क प्राप्त करेगे, जिसे चिकित्साधिकारी के निर्दे ाानुसार समय समय पर जैसा कि स्थनीय उच्च अधिकारियो द्वारा आदे ात किया

जाए। नियमानुसार सरकारी खजाने में जमा कराये जाने तथा तत्सम्बन्धी लेखा–जोखा रखे जाने हेतु चिकित्साधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगें।

15– चिकित्सालय मे नियुक्त/तैनात चतुर्थ श्रेणी कमचारियो से चिकित्सालयो मे फनीचार/सज–सजजा/उपकरण तथा अन्य समानेां को साफ करायेगे तथा चिकित्सालय परिसर को उनके माध्यम से साफ सुथरा रखा जाना सुनि चत करेगे ।

16– चिकित्साधिकारी के अनुपस्थित मे चिकित्सालय मे आने वाले ऐसे रोगियो को जिनको तत्काल सहायता की आव यकता हो को फर्स्ट–एड देगं, एवं तदोपरान्त आव वकता अनुसार निकटवर्ती किसी भी पद्धति के चिकित्सालय मे अग्रिम उपचार हेतु जाने की सलाह देगे।

17– चिकित्सालय को निर्धारित समय से खुलवाना और उसे बन्द करवाना सुनि चत करेगें, तथा चिकित्सालय के एक चाभी चिकित्साधिकारी को तथा एक चाभी स्वयं अपने पास सुलभ रखेगें।

18– राश्ट्रीय कार्यक्रमो के अर्न्तगत जो लक्ष्य उनके लिए समय–समय पर निर्धारित किये जाय उनकी उपलब्धि हेतु सम्पूर्ण प्रयास करेगें, तथा लक्ष्यों की भात प्रति ात उपलब्धि करेगें, साथ ही चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी तथा अन्य र्कमचारियो के लिए समय–समय पर जो लक्ष्य निर्धारित किये जाए की पूर्ति हेतु भी उनका क्रम ाः सहयोग एव मार्गद ान करेगे।

19– चिकित्सालय के सम्बन्धित पत्रावलियों/अभिलेख विधिवत रखे जाने तथा पत्राचार कियें जाने मे चिकित्साधिकारी की अपेक्षा अनुसार उनकी सहायता एंव सहयोग करेगे।

20– चिकित्सालय मे रागियों के हित में एवं तत्सम्बन्धी प्रयोजन के लिए चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये गये समस्त आदे ाो/निर्दे ाो (जिनके अर्न्तगत मैखिक ओदे ा/निर्दे ा भी सम्मिलित हैं) का अनुपालन सुनि चत करेगे, और किसी ि ाकायत का अवसर नहीं देगे।

हस्ताक्षर

(अविना ा चन्द्र सक्सेना)
निदे ाक (होम्योपैथी) उ0प्र0

जनपद –सिद्धार्थनगर

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयो की ब्लाकवार सूचीः–

क्रम सं0	ब्लाक का नाम	रा0हो0चिकित्सालय का नाम
1	नौगढ़	जिला चिकित्सालय
		पिपरापाण्डेय
		परसा नौगढ़
2	बर्डपुर	मोहाना चौराहा
3	जोगिया	केवटालिया
4	उस्का बाजार	महुलानी(माधवापुर)
5	लोटन	हरिवं ापुर
6	बांसी	असोगवा
7	मिठवल	मिठवल खास
		कोल्हुई
8	खेसरहा	सेखुई
9	डुमरियागंज	हल्लौर
		रसूलपुर
		सेखुईया
10	भाोहरतगढ	छतहरा(गेहुअनिया चौराहा)
		पल्टा देवी
		बजहा
11	बढनी	ढेकहरी
12	इटवा	गोबिन्दपुर
		इटवा
13	खुनियांव	उचडीह

जनपद –सिद्धार्थनगर

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयो की तहसीलवार सूचीः–

क्रम सं0	तहसील का नाम	रा0हो0चिकित्सालय का नाम
1	नौगढ़	जिला चिकित्सालय
		पिपरापाण्डेय
		परसा नौगढ़
		मोहाना चौराहा
		केवटालिया
		महुलानी(माधवापुर)
		हरिवं ापुर
2	बांसी	असोगवा
		मिठवल खास
		कोल्हुई
		सेखुई
3	डुमरियागंज	हल्लौर
		रसूलपुर
		सेखुईया
4	भाोहरतगढ	छतहरा
		पल्टा देवी
		बजहा
		ढेकहरी
5	इटवा	गोबिन्दपुर
		इटवा
		उचडीह

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी
सिद्धार्थनगर।